O/o E.D. (ETC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 1956
Date 16 AUG 2022

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, में अपीलीय अधिकारी श्री के.के.भौरासे, महाप्रबंधक (मा.सं.)

(अपील प्र.क. 10/2022 दिनांक 05.07.2022)

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./10/2022/428 रायपुर, दिनांक 10 AUG 2022

श्री रमेश साहू अपीलार्थी
कोरबा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 10/08/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री रमेश साहू ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के निर्णय दिनांक 20.06.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी।	कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) विभागीय परीक्षा दिनांक 10.04.2022 का प्रश्न पुस्तिका।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	प्रार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी के संबंध में जन सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विभागीय परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) में दायर याचिका क्रमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। जिससे प्रार्थी असंतुष्ट है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 2537/2022 के आदेश से स्पष्ट है कि, उक्त आदेश याचिकाकर्ताओं के लिये था। उक्त आदेश में कही भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त जानकारी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गोपनीयता भंग नहीं होगी। साथ ही विभागीय भर्ती का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका सूचना का अधिकार से बाहर आने पर याचिकाकर्ताओं को किसी प्रकार का लाभ भी नहीं प्राप्त होगा। जिसमें अब कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		दिनांक 02.08.2022	उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी तथा अपीलार्थी उपस्थित हुए। दोनों उभय पक्ष के तर्क कथन सुने गए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गयी।

(iv)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क–		जनसूचना अधिकारी का तर्क कथन था कि आवेदक को चाही गयी जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 1005 दिनांक 20.06.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "उक्त विभागीय परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) में दायर याचिका कमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है, के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि सूचनाधिकार के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में सूचना दिये जाने को प्रतिषिद्ध किया गया है। अतएव अधिनियम की धारा 8(1)(h) के प्रावधान आकर्षित होते है। जब न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण विचाराधीन है। उसके संबंध में अन्य पक्ष को सूचना दी जाना तर्कसंगत नहीं है। न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय के समक्ष किसी मामले में कार्यवाही विचाराधीन है उससे संबंधित जानकारी न्यायालय या न्यायाधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्धारित समय–सीमा के भीतर जो कार्यवाही की गयी है वह विधि संगत है।

सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा पैरा 02 के तालिका (1) में कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) विभागीय परीक्षा दिनांक 10.04.2022 का प्रश्न पुस्तिका की मांग की गयी है। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को यह अवगत कराया गया है कि विभागीय परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) में दायर याचिका कमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है, तर्क स्वीकार योग्य है।

जब मामला न्यायाधीश (विधि के न्यायालय) के समक्ष विचारण में है, तब कोई भी जानकारी/दस्तावेज सूचनाधिकार के अंतर्गत प्रकट नहीं की जा सकती है।

(4) – उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपील प्रकरण (पंजीयन कमांक 10/2022 दिनांक 05.07.2022) एतद् द्वारा निराकृत किया जाता है।

10.8.22

(के.के.भौरासे)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर ।

(2) श्री रमेश साहू, पिता श्री सुखीराम, क्वाटर नं.–डी–78, एच.टी.पी.एस. कालोनी, कोरबा (वेस्ट) पिन– 495450 को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर